M [19/12/2024] परिशिष्ट अ

श्रीमान् कलेक्टर महोदय
प्रश्न सं. [क्र 1439]
जिला दतिया म.प्र.

विषय:- नगर परिषद भांडेर जिला दतिया में निर्माण कार्य की गुम फाईले एवं अपूर्ण कार्यो को पूर्ण कराया जावे।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत हम सभी पार्षदगण यह आवेदन सादर निम्नानुसार प्रस्तुत कर रहे है :–

NOTARY GOVT. OF M.P.

1. यह कि, हम सभी पार्षदगण भाण्डेर नगर परिषद के नवनिर्वाचित पार्षद है

2. यह कि नगर परिषद भाण्डेर में निम्न निर्माण कार्य स्वीकृत हुए थे
   1. वार्ड क. 14 में जानकी अहिरवार से रामस्वरूप के डेरा तक सी.सी. एवं नाली निर्माण
   2. प्रकरण क.–4/14X1/4 टी वी टावर रोड से सुरेश जाटव के घर तक सी सी रोड
   3. प्रकरण क.–21/20X1/4 नरेश पाण्डे के मकान से चिमन यादव के मकान तक वार्ड क.–6
   4. प्रकरण क.–28/15X1/4 टनचिंग ग्राउण्ड से निर्माण कार्य
   5. प्रकरण क.–8/12X1/4 शाहपुर रोड से मरघट प्रागण तक WBM कार्य
   6. प्रकरण क.–13/13 X 1/4 बलराम सरपंच के मकान से मंडी बाउण्ड्री तक नाली निर्माण वार्ड क.–4

15/2/24

3. यह कि उक्त सभी निर्माण कार्यो की फाईले गुम है

4. यह कि नगर परिषद भांडेर में अनेक प्रकार की अनियमितताये एवं इनके द्वारा विधि विपरीत कार्य किये जा रहे है जैसे कि ठेकेदारों की निर्माण कार्य की फाईले प्रकरण कमांक 11/21 X 1/4 बस स्टेण्ड पर स्थित लाज एवं डोर मैट्री भवन कार्य मरम्मत एवं मुख्यमंत्री अधोसरंचना तृतीय चरण के अन्तर्गत वार्ड क.–1 मे लहार रोड से शिवदयाल दांगी के मकान होते हुए पुष्पेन्द्र प्रजापति के मकान तक सी सी रोड एवं अन्य कार्य के कई प्रकरणों में इनके द्वारा

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग

सहायक संचालक
नगरीय प्रशासन एवं विकास
मध्यप्रदेश भोपाल

Scanned with OKEN Scanner

24

मूल एफडीआर व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्धि के कारण ठेकेदारों से लेन–देन कर उक्त दोनों निर्माण कार्य अधूरे होने के वावजूद भी इनके द्वारा ठेकेदारों की मूल एफडीआर बिना सक्षम स्वीकृति के ठेकेदारों को वापस की गयी है। ठेकेदार राधे कन्स्ट्रक्शन कंपनी भाण्डेर प्रोपराईटर सूरज अग्रवाल एवं उमाशंकर समाधिया भाण्डेर को मूल एफडीआर 10,71,700/– (दस लाख इकहत्तर हजार सात सौ) रूपये की वापस की गयी है तथा 1,89,300/– (एक लाख नवासी हजार तीन सौ) रूपये की एफडीआर प्रोप्राइटर सूरज अग्रवाल को वापिस की गयी है

5. यह कि उक्त आवेदन पर श्रीमान् अपर कलेक्टर महोदय श्री रूपेश उपाध्याय के द्वारा प्रार्थीगणों के द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर से जांच हेतु श्रीमान् आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास म.प्र. शासन भोपाल को भेजे गये आदेश की प्रति संलग्न की गयी। दिनांक 08.12.2023 को श्रीमान् के आदेश के अनुसार परियोजना अधिकारी नगरीय निकाय अभिकरण महोदय के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी राजस्व भाण्डेर को यह पत्र दिया गया था कि आप मुख्य नगर पालिका अधिकारी भाण्डेर से रिकार्ड तलब कर अधिकारियों एवं कर्मचारियों की संल्पतता की जांच कर प्रतिवेदन एक माह के अन्दर इस कार्यालय को भिजवाये परन्तु श्रीमान के स्पष्ट आदेशों के बावजूद भी आज दिनांक तक कोई वांछित एवं प्रभावशील कार्यवाही नहीं की गयी जो श्रीमान् के द्वारा दिये गये निर्देशों का स्पष्ट उल्लंघन है।

6. यह कि उक्त अपूर्ण निर्माण की जांच एवं वित्तोय अनियमितता की जांच हेतु यह आवश्यक है कि प्रकरण से संबंधित समस्त रिकार्ड सक्षम अधिकारी के पास पहुंचाकर जांच करायी जाये।

अतः नगर परिषद भाण्डेर के रिकार्ड की जांच कर वैधानिक कार्यवाही कर अपूर्ण कार्यो की जांच कराये जाने की कृपा करें।

भवदीय पार्षदगण

1. राकेश सिंह सेंगर वार्ड क्र–15
2. सुमन सिंह सेंगर वार्ड क्र–14
3. अंजलि अग्रवाल वार्ड क्र– 13
4. अजरा माफीदार वार्ड क्र 12

NOTARY
2021
GOVT. OF M.P.

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग

सहायक संचालक
नगरीय प्रशासन एवं विकास
मध्यप्रदेश भोपाल

पार्षद
नगर परिषद भाण्डेर
वार्ड क्र. 15

अजरा
* पार्षद *
वार्ड नं0-12, नगर परिषद भाण्डेर
जिला दतिया (म0प्र0)
15/2/2024

सुमन
पार्षद
श्रीमती सुमन देवी-सन्टे पटेल
वार्ड क्र.14 नगर परिषद भाण्डेर
जिला-दतिया (म.प्र.)

अंजली
पार्षद
वार्ड क्र 13 भाण्डेर
जिला-दतिया (म0प्र0)

Scanned with OKEN Scanner